फार्म - पैंतीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-50(17) देखें]

क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र का रूप-पत्र

(यह क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र उचित मूल्य व वर्ग के स्टैम्प पेपर पर दिया जाएगा)

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि मैं / हम, ---------- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री---------- निवासी ---------- (जिसे आगे "बाध्यताकारी" कहा गया है जिस पद के अंतर्गत, जब तक कि संदर्भ से निकाला न गया हो उसके प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासन और विधिक प्रतिनिधि भी है) और (1) ---------- पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ---------- निवासी---------- और (2) ---------- पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ---------- निवासी---------- बाध्यताकारी की ओर से प्रतिभू (जिसे आगे "प्रतिभू" कहा गया है जिस पद के अंतर्गत जब तक कि संदर्भ से निकाला न गया हो या उसके प्रतिकूल न हो, उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासन और विधिक प्रतिनिधि भी है) संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को (जिसे आगे "सरकार") कहा गया है जिस शब्द के अंतर्गत जब तक कि संदर्भ से निकाला न गया हो या उसके प्रतिकूल न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, मांग करने पर और बिना आपत्ति के ---------- रूपए (---------- रूपए मात्र) जिसके अच्छी तरह से और सही तौर पर भुगतान किये जाने के लिए हम लोग इस विलेख पर दृढ़ता से अपने को आबद्ध करते हैं, का भुगतान करने के लिए आबद्ध होते हैं।

आज दिनांक----------20---------- को हस्ताक्षर किया गया।

चूंकि समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम यह अपेक्षा करता है कि यदि किसी समय क्रेता का धन वापस करने की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि यथास्थिति, धन की वापसी देय नहीं थी या ऐसी धनराशि किसी न्यायिक निर्णय या विधि में परिवर्तन के कारण या किसी अन्य कारण से वापस करने योग्य नहीं रह गयी तो ऐसा क्रेता मांग किये जाने पर अपने को वापस की गयी धनराशि या उसके किसी भाग को जो उसको वापस करने योग्य नहीं पाया गया है सरकार के पास जमा करेगा।

और चूंकि इसका बाध्यताधारी ऐसा क्रेता है जिससे धन वापसी प्राप्त किया है;

अब ऊपर लिखित बन्धपत्र या बाध्यता की शर्त ऐसी है कि धन वापस योग्य न रह जाने की दशा में (जिसके संबंध में सरकार या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम और बाध्यताधारी तथा प्रतिभूओं पर बाध्यकारी होगा) और बाध्यताधारी और या प्रतिभू मांग किये जाने पर और बिना आपत्ति के ---------- रूपए (----------रूपए मात्र) की उक्त धनराशि का सरकार को भुगतान करेंगे।

और यह विलेख इस बात का भी साक्षी है कि एतद्पश्चात् बाध्यताधारी और प्रतिभूओं या दायित्व सरकार के किसी कार्य से प्रविरत रहने या लोप के कारण या सरकार द्वारा कोई समय स्वीकृत करने या दिखायी गयी अनुग्रह के कारण या बाध्यताधारी (ऐसी दशाओं में जहां बाध्यताधारी कोई व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं है) के गठन में किसी परिवर्तन के कारण ह्रासित या उन्मोचित नहीं होता।

और एतद्द्वारा यह सम्मत और घोषित किया जाता है कि किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार के ---------- के प्रमाण पत्र पर जो अंतिम और निश्चायक और बाध्यताकारी तथा प्रतिभूओं पर बाध्यकारी होगा यहां नीचे उल्लिखित समस्त क्षेत्रों को बाध्यताधारी और / या प्रतिभूओं से संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल कर सकती है :

इसके साक्ष्य में बाध्यताधारी और प्रतिभू ने इस पर स्वहस्ताक्षर किये हैं। इसको अपने / अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा ऊपर लिखित दिनांक, मास और वर्ष को निष्पादित कराया है।

ऊपर नामित बाध्यताधारी द्वारा हस्ताक्षर----------

निम्नलिखित की उपस्थिति में किया गया -

1----------

2---------- (साक्षियों का नाम और पूरा पता)

ऊपर नामित प्रतिभू - / प्रतिभूओं द्वारा हस्ताक्षर

1----------

2----------

निम्नलिखित की उपस्थिति में किया गया-

1----------

2---------- (साक्षियों का नाम और पूरा पता)

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से ---------- (संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से बन्ध-पत्र स्वीकार करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम) द्वारा स्वीकृत किया गया।

1----------

2----------

(नाम और पूरा पता)

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम और पदनाम

मुहर